बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– 8093(5) /पटना, दिनांक 10.11.26

श्री संजीव कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के पथ प्रमंडल, लखीसराय पदस्थापन अवधि में अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 02.06.2026 को लखीसराय बाईपास स्थित ROB के निरीक्षण के क्रम में श्री सिन्हा को दिये गये निदेश की अवहेलना की गयी है। प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–4814 (एस) अनु० दिनांक 16.07.2026 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित करते हुए बचाव के लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप के बिन्दु निम्नवत् हैं:–

"सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पथ प्रमंडल, लखीसराय के क्षेत्राधीन लखीसराय बाईपास स्थित ROB के निरीक्षण के क्रम में पुल की मरम्मति/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण होने तक Traffic Diversion Plan के अनुसार ट्रैफिक संचालन तथा शहर के अन्दर वाहनों के स्पीड को नियंत्रित करने हेतु पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा प्रस्तावित स्थालों पर Speed Breaker का निर्माण 24 घण्टे के अन्दर कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के बावजूद दिनांक 13.06.2026 तक कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय द्वारा उक्त कार्य नहीं किया गया। वरीय निदेश के बावजूद श्री संजीव कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय द्वारा Speed Breaker का निर्माण कार्य नहीं कराया जाना वरीय पदाधिकारी के निदेश की अवहेलना एवं कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।"

2.1. उक्त आरोप के संबंध में श्री सिन्हा के द्वारा अपना लिखित अभिकथन पत्रांक–गृ०कार्य०–37 दिनांक 12.08.2026 के माध्यम से समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा दिनांक 02.06.2026 को प्रस्तावित स्थलों के संबंध में निर्गत पत्र की प्रति उनके कार्यालय में पृथक रूप से प्राप्त/संचारित नहीं हुई थी और उसमें उल्लिखित स्थल उनके संज्ञान में दिनांक 02.06.2026 को उपलब्ध अभिलेख के रूप में नहीं थे। दिनांक 12.06.2026 को जिला समाहरणालय, लखीसराय में Road Safety से संबंधित बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त बैठक में Speed Breaker निर्माण हेतु प्रस्तावित/चिन्हित स्थालों के संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई। जिला पदाधिकारी का पत्रांक–2580 दिनांक 12.06.2026 उसी दिन अपराह्न 03:09 बजे ई–मेल के माध्यम से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें संबंधित स्थालों पर Speed Breaker निर्माण हेतु कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

2.2 श्री सिन्हा के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है, कि दिनांक 12.06.2026 को स्थल–विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने के उपरांत उनके स्तर से बिना किसी अनावश्यक विलंब के Speed Breaker निर्माण की कार्रवाई प्रारम्भ कराई गयी। दिनांक 14.06.2026 को सभी चिन्हित स्थलों पर Speed Breaker का निर्माण पूर्ण करा दिया गया तथा इसकी सूचना संबंधित वरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी।

कृ०पृ०उ०

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि दिनांक 02.06.2026 को ही पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक–4467/गो० निर्गत है, जिसमें स्पीड ब्रेकर लगाने हेतु स्थान विशेष का उल्लेख किया गया है। साथ ही सचिव के द्वारा दिनांक 02.06.2026 को ही निरीक्षण के क्रम में श्री सिन्हा को निदेश दिया गया था कि वे 24 घण्टे के अन्दर पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा प्रस्तावित स्थलों पर Speed Breaker लगायें। ऐसी स्थिति में श्री सिन्हा के द्वारा यह तर्क दिया जाना कि उन्हें पुलिस अधीक्षक का उक्त पत्र दिनांक 12.06.2026 को प्राप्त हुआ था, यह विश्वसनीय नहीं है। यदि उन्हें उक्त पत्र के निर्गत होने की जानकारी नहीं थी तो सचिव के आदेश के अनुपालन हेतु एवं व्यापक जनहित में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उक्त पत्र प्राप्त कर सकते थे। परन्तु ऐसा नहीं किया गया, जो वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं कार्य दायित्वों के प्रति उदासीनता का परिचायक है। यह भी तथ्य है कि श्री सिन्हा द्वारा यद्यपि तत्समय स्पीड ब्रेकर का निर्माण नहीं कराया गया है, तथापि दिनांक 14.06.2026 को वांछित कार्य करा दिये गये हैं।

अतः उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संजीव कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 स्पष्टीकरण–(3) के तहत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है:–

"चेतावनी (जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में दर्ज की जाएगी)"

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– **/पटना, दिनांक .....**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– **/पटना, दिनांक .....**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।**

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, लखीसराय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13, एवं 14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /**श्री संजीव कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–30/2026– 8094(S) /पटना, दिनांक 10/11/26

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
05.11.26